



CIRCULAR

PFRDA/2022/24/Sup-CRA/09

12 Oct 2022

To

All stakeholders under NPS

Subject: NPS/APY Functionalities released by CRAs during Quarter I (FY 2022-23)

The Central Record Keeping Agencies (CRAs) appointed by PFRDA develop system level functionalities as per the evolving needs of NPS/APY stakeholders.

- 2. CRAs have the responsibility to develop new functionalities or utilities, establish new processes, and offer multiple models of interface for the uploading offices in order to provide maximum flexibility in terms of operation for the benefit of the subscribers as an ongoing exercise to fulfil their obligations that ultimately benefit the Subscribers.
- 3. The list of functionalities that have been developed and made available by CRAs during Quarter I of the current FY 2022-23 is attached herewith for benefit of subscribers and other stakeholders (Annexure I, II and III).
- 4. The circular is placed in the intermediary section of CRA on PFRDA website www.pfrda.org.in for the information of all NPS/APY stake holders.

Yours sincerely.

Digitally signed by K MOHAN GANDHI

Chief General Manager

Page 1 of 8





Annexure I - Functionalities released by Protean CRA during Q1 of FY 2022-23

| No. | Name of Developm ent/ Functionalities | Description |
|-----|--|---|
| 1 | NPS Regular - Aadhaar Seeding | Subscriber will be able to do Aadhaar Seeding through login in CRA system |
| 2 | Mobile App - APY - Subscriber Registration | Subscriber Registration feature has been enabled in APY Mobile App The potential Subscribers will be able to register themselves with the help of Mobile App The following options are also made available in the App a) APY Registration b) APY Lead Generation c) Migration of Swavalamban Subscribers |
| 3 | NPS Regular - Contribution | Government and Corporate Subscribers will be able to make voluntary contribution in Tier I and Tier II account even after Date of Retirement |
| 4 | NPS Regular - Inter Sector Shifting | Inter-sector shifting facility has been enabled in login of All Citizen of India Sector Subscribers Subscriber can raise ISS request and also check Request Status View It is a paperless journey where either dual OTP authentication or e-Sign |
| 5 | NPS Regular - Subscriber Registration | Implementation of CCS Rules: Link has been enabled in the CRA system for Nodal Offices to update Form I & II details of the Subscriber Applicable for Central Govt. Subscribers (excluding CAB & Min. of Railways) Form I is for selection of pension option i.e. CCS Pension or NPS Pension. Form II is for submission of Family Member Details of the Subscriber. |
| 6 | eNPS - Subscriber Registration | At the time of <u>Subscriber Registration through eNPS</u>, Email ID and Mobile no. of the Subscriber will be validated through OTP authentication process. |



| | | Subscriber will not be able to generate PRAN unless Email ID and Mobile no. is validated. |
|-----|---|--|
| No. | Name of Developm ent/ Functionalities | Description |
| 7 | eNPS - Subscriber Registration | CKYC compliance processing for Subscribers registered through Aadhaar - CKYC ID to be updated for PRANs generated through Aadhaar. Integration with CERSAI to search CKYC details (based on certain data points) and download of request file to upload KYC details and CKYC ID. |
| 8 | Mobile APP - NPS - Subscriber Registration | Subscriber Registration feature has been enabled in NPS Mobile App. Now, potential Subscribers will be able to register themselves with the help of Mobile App. |
| 9 | NPS Regular - Scheme Preference / PFM Change | In case of initiation of Scheme Preference/PFM Change request by Government Sector Subscriber, authorization by Nodal Office is not required. The request is processed through OTP authentication wherein an OTP will be sent on the Mobile No/Email ID available in CRA system It is imperative that the Subscribers' Mobile No./Email ID is registered with CRA. |
| 10 | NPS Regular - Subscriber Details Modification | Changes in the processing of e-Nomination requests: As per existing process, e-Nomination request initiated by the Corporate Subscriber is required to be authorised by the identified Corporate. Now, e-Nomination request initiated by the Corporate Subscriber belonging to PSU/PSB Corporates is required to be authorised by the Corporate. e-Nomination request initiated by the Corporate Subscribers other than PSU/PSB Corporates is not required to be authorised by the Corporate. After submission of request by the Subscriber, nomination details gets updated in CRA records. |



| No. | Name of Developm ent/ Functionalities | Description |
|------|--|--|
| 11 | NPS Regular - Statement of Transaction | In NPS, service charges are borne by the Subscribers such as Annual Maintenance Charges, Transaction Charges, PF Charges etc. These charges are deducted through NAV, Unit deduction or collected upfront The table displaying the complete charge structure and mode of deduction of charges applicable in NPS incorporated in the Notes section for online Transaction Statement view. This table is a static table which will be displayed to all sector subscribers and for all tiers |
| 12 | NPS Regular - Subscriber Registration | PRAN activation only after receipt of contribution from the Subscriber in NPS. After new Subscriber registration in UOS sector without contribution, Subscriber PRAN will be marked in 'Freeze' status. Subscriber PRAN will be marked as Active after receipt of contribution. If contribution not received within 30 days from the date of account opening, an alert will be sent to subscribers as well as associated Nodal Offices |
| 13 | NPS Regular - ERM | Remarks field during Non NPS ERM redemption request is currently optional. Now this field has been made mandatory. |
| 14 | eAPY - Subscriber Registration | At the time of <u>Subscriber Registration through eAPY</u>, Subscribers will have an option to authenticate the form through Dual OTP Authentication in addition to eSign. This facility is available for Subscriber Registration and <u>Migration of Swavalamban Subscriber</u> to APY. Distinct OTPs will be sent on Mobile no. and Email ID of the Subscriber |
| 15 | NPS Regular - Withdrawal | Reduction in Withdrawal Timelines for processing of Final Exit (Superannuation / Premature Exit/Death/Family pension/Disability Pension/Annuity Withdrawal) requests in same day pay in. |
| 1 40 | NPS Regular - Interoperability | Provision has been given to Subscriber to do Inter CRA migration twice in a financial year i.e. if the subscriber migrates from CRA-1 to CRA-2 in a financial year, then subscriber can again migrate to CRA-1 or CRA-3 in the same financial year. At present, the process was being handled administratively by CRA. |





परिपत्र

परिपत्र संख्याः पीएफआरडीए/2022/24/पर्यवेक्षण-सीआरए/09

12 अक्टूबर, 2022

प्रति एनपीएस के तहत सभी हितधारक

विषय : सीआरए द्वारा तिमाही । (वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान जारी एनपीएस / एपीवाई कार्यप्रणालियां

पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, एनपीएस / एपीवाई हितधारकों की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रणालीगत कार्यप्रणालियाँ विकसित करते हैं।

- 2. सीआरए के पास अपने कर्तव्यों को पूरा करने की एक सतत प्रक्रिया के तौर पर अभिदाताओं के लाभ के लिए संचालन के मामले में अधिकतम लचीलापन प्रदान करने के क्रम में नई कार्यप्रणालियों या उपयोगिताओं को विकसित करने, नई प्रक्रियाओं को स्थापित करने तथा अपलोडिंग कार्यालयों हेतु इंटरफेस के अनेक प्रारूपों को पेश करने की जिम्मेदारी है जो अंततः अभिदाताओं को लाभान्वित करती है।
- 3. सीआरए द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान विकसित और उपलब्ध कराई गई कार्यप्रणालियाँ, अभिदाताओं और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए संलग्न है। (अनुलग्नक।, ॥ और॥))
- 4. सभी एनपीएस / एपीवाई हितधारकों की जानकारी के लिए, इस परिपत्र को पीएफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर रखा गया है।

भवदीय.

Digitally signed by K MOHAN GANDHI

मुख्य महाप्रबंधक

Page 1 of 8





अनुलग्नक । – वित्त वर्ष 2022-23 की तिमाही । के दौरान प्रोटियन सीआरए द्वारा जारी कार्य प्रणालियाँ

| सं. | विकास/कार्यप्रणालियों का नाम | विवरण |
|-----|---|---|
| 1 | एनपीएस नियमित - आधार सीडिंग | अभिदाता सीआरए प्रणाली में लॉग इन करते हुए आधार सीडिंग कर सकता है। |
| 2 | मोबाइल एप - अभिदाता पंजीकरण | एपीवाई मोबाइल एप में अभिदाता पंजीकरण सुविधा सक्रिय की गई है। संभावी अभिदाता मोबाइल एप की सहायता से अपना पंजीकरण कर सकेंगे। एप में निम्नलिखित विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं क) एपीवाई पंजीकरण ख) एपीवाई लीड जनरेशन ग) स्वावलंबन अभिदाताओं का स्थानान्तरण |
| 3 | एनपीएस नियमित – अंशदान | सरकारी और कॉरपोरेट अभिदाता सेवानिवृत्ति के बाद भी टियर । और टियर ॥ खाते में स्वैच्छिक अंशदान कर सकेंगे । |
| 4 | एनपीएस नियमित – इंटर सेक्टर शिफ्टिंग (अंतर क्षेत्र स्थानांतरण) | भारत के सर्व नागरिक क्षेत्र के अभिदाताओं के लॉगिन में इंटर सेक्टर शिफ्टिंग)अंतर क्षेत्र स्थानांतरण (सुविधा सक्रिय की गई है। अभिदाता आईएसएस अनुरोध कर सकता है और अनुरोध स्थिति भी जान सकता है। यह एक गैर-कागज़ी तरीका है जहां या तो दोहरी ओटीपी प्रमाणीकरण या ई-साइन की आवश्यकता होती है। |
| 5 | एनपीएस नियमित - अभिदाता पंजीकरण | सीसीएस नियमों का क्रियान्वयन : • अभिदाता के फॉर्म । और ॥ विवरण को अपडेट करने के लिए, नोडल कार्यालयों के लिए सीआरए प्रणाली में लिंक उपलब्ध कराया गया है । • केंद्र सरकार के अभिदाताओं के लिए लागू (केंद्रीय स्वायत्त निकाय और रेलवे के कर्मचारियों को छोड़कर) । • फॉर्म 1 पेंशन विकल्प अर्थात् सीसीएस पेंशन या एनपीएस पेंशन के चयन के लिए है । • फॉर्म ॥ अभिदाता के परिवार के सदस्य का विवरण देने के लिए है। |



| सं. | विकास/कार्यप्रणालियों का नाम | विवरण |
|-----|---|--|
| 6 | ईएनपीएस - अभिदाता पंजीकरण | ईएनपीएस के माध्यम से अभिदाता पंजीकरण के समय, अभिदाता का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ओटीपी प्रमाणीकरण प्रक्रिया द्वारा सत्यापित किया जाएगा। अभिदाता तब तक प्रान प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सत्यापित न हो जाएँ। |
| 7 | ईएनपीएस - अभिदाता पंजीकरण | आधार के माध्यम से पंजीकृत अभिदाताओं के लिए सीकेवाईसी अनुपालन प्रक्रिया - आधार के माध्यम से जारी प्रान के लिए सीकेवाईसी आईडी को अपडेट किया जाएगा। सीकेवाईसी विवरण (कुछ विवरणों के आधार पर) खोजने के लिए सीईआरएसएआई के साथ जुड़ना और केवाईसी विवरण एवं सीकेवाईसी आईडी अपलोड करने के लिए अनुरोध फ़ाइल डाउनलोड करना। |
| 8 | मोबाइल एप – एनपीएस - अभिदाता पंजीकरण | एनपीएस मोबाइल एप में अभिदाता पंजीकरण सुविधा को सक्रिय किया गया है । अब संभावी अभिदाता मोबाइल एप की सहायता से अपना पंजीकरण कर सकेंगे। |
| 9 | एनपीएस नियमित - योजना वरीयता परिवर्तन / पीएफएम परिवर्तन | |
| 10 | एनपीएस नियमित अभिदाता विवरण आशोधन | ई-नामितिकरण अनुरोध के प्रक्रिया में परिवर्तन : • मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, कॉरपोरेट अभिदाता द्वारा शुरू किए गए ई- नामितिकरण अनुरोध को सम्बंधित कॉपोरेट द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना अपेक्षित है। • अब, पीएसयू / पीएसबी कॉरपोरेट्स से संबंधित कॉपोरेट अभिदाता द्वारा किए गए ई नामांकन अनुरोध को-उस कॉपोरेट द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना अपेक्षित है। • पीएसयू / पीएसबी कॉरपोरेट्स को छोड़कर अन्य कॉरपोरेट अभिदाताओं द्वारा किए गए ई नामांकन अनुरोध को कॉपोरेट द्वारा-प्रमाणीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। • अभिदाता द्वारा अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद, नामितिकरण विवरण सीआरए रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है। |



| सं. | विकास/कार्यप्रणालियों का नाम | विवरण |
|-----|------------------------------------|---|
| | एनपीएस नियमित - लेनदेन विवरण | एनपीएस में सेवा शुल्क जैसे वार्षिक प्रबंधन शुल्क, लेन-देन शुल्क, भविष्य निधि शुल्क इत्यादि अभिदाताओं द्वारा वहन किए जाते हैं। ये शुल्क एनएवी, यूनिट डिडक्शन या अग्रिम एकत्रीकरण द्वारा काटे जाते हैं। एनपीएस में लागू शुल्कों की पूर्ण प्रभार संरचना और कटौती के तरीके को प्रदर्शित करने वाली तालिका को ऑनलाइन लेनदेन विवरण देखें के नोट्स अनुभाग में शामिल किया गया है। यह तालिका एक स्थिर तालिका है जिसे सभी क्षेत्र के अभिदाताओं और सभी स्तरों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। |
| 12 | एनपीएस नियमित - अभिदाता पंजीकरण | एनपीएस में अभिदाताओं से अंशदान प्राप्त होने के बाद ही प्रान सक्रिय होगा। असंगठित क्षेत्र में नए अभिदाता पंजीकरण के बाद गैर-अंशदान की स्थिति में अभिदाता प्रान को 'फ्रीज' स्थिति में चिह्नित किया जाएगा। अभिदाता प्रान को अंशदान प्राप्त होने के बाद सक्रिय के रूप में चिह्नित किया जाएगा। खाता खोलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अंशदान प्राप्त नहीं होने पर अभिदाताओं के साथ-साथ संबद्ध नोडल कार्यालयों को भी सूचना अलर्ट भेजा जाएगा। |
| 13 | एनपीएस नियमित - ईआरएम | वर्तमान में गैर एनपीएस ईआरएम मोचन अनुरोध के दौरान टिप्पणी (रिमार्क) क्षेत्र वैकल्पिक है। अब इस क्षेत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। |
| 14 | ईएपीवाई - अभिदाता पंजीकरण | ईएपीवाई के माध्यम से अभिदाता पंजीकरण के समय, अभिदाताओं के पास ई-साइन के अलावा डुअल ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से फॉर्म को प्रमाणित करने का विकल्प होगा। यह सुविधा अभिदाता पंजीकरण और स्वावलंबन अभिदाता के एपीवाई में माइग्रेशन के लिए उपलब्ध है। अभिदाता के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। |
| 15 | एनपीएस नियमित- प्रत्याहरण | अंतिम निकासी (सेवानिवृत्ति / समयपूर्व निकास / मृत्यु / पारिवारिक पेंशन / विकलांगता पेंशन / वार्षिकी आहरण) अनुरोधों के प्रसंस्करण के लिए सामान दिवसीय निकास समय-सीमा में कमी। |
| 16 | एनपीएस नियमित - अंतरचालिता | अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में दो बार एक सीआरए से दूसरे में स्थानांतिरत होने का प्रावधान दिया गया है अर्थात् यदि अभिदाता एक वित्तीय वर्ष में सीआरए -1 से सीआरए -2 में स्थानांतिरत होता है, तो अभिदाता उसी वित्तीय वर्ष में फिर से सीआरए -1 या सीआरए -3 में स्थानांतिरत हो सकता है। वर्तमान में, सीआरए द्वारा प्रशासनिक रूप से प्रक्रिया को संभाला जा रहा है। |